संख्या-9/2022/64/तेइस-7-2022-125सा0/2017

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2022

विषय:- श्री मो0 नईम, प्रधान सहायक, विश्वबैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-192व्यग/07व्यग(117)/2017, दिनांक रहित एवं पत्रांक-2033व्यग/07व्यग(117)/2017, दिनांक 08-09-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री मो0 नईम, प्रधान सहायक, विश्वबैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़(तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़) के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रू0 5,82,001/- (रूपये पांच लाख बयासी हजार एक मात्र) का वित्तीय वर्ष 2020-2021 में धनावंटन नहीं होने के कारण चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान नहीं होने से अवगत कराते हुए उक्त भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-2022 में किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-681/23-7-2020, दिनांक 21-08-2020 को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 21-08-2020 को संशोधित करते हुए श्री मो0 नईम, प्रधान सहायक, विश्वबैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़(तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़) के स्वयं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रू0 5,82,001/- (रूपये पांच लाख बयासी हजार एक मात्र) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-54 के अधीन लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-निदेशन-49-चिकित्सा व्यय "

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के मद के नामे डाला जायेगा। शासनादेश दिनांक 21-08-2020 में अंकित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

अभय कुमार

संयुक्त सचिव।

संख्या-9/2022/64(1)/तेइस–7–2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- विशेष सचिव, बजट आवंटन नोडल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।

5- कोषाधिकारी, अलीगढ़।

6- अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।

7- अधिशासी अभियन्ता, विश्वबैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग,अलीगढ़।

8- श्री मो0 नईम, प्रधान सहायक, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग,अलीगढ़।

9- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

अभय कुमार

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।